भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1553
09.12.2025 को उत्तर के लिए नियत

मौजूदा इलेक्ट्रिक वाहन नीति की समीक्षा

1553. **श्री धैर्यशील संभाजीराव माणेः**
श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतरावः
श्री सुधीर गुप्ताः

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार का विचार पेट्रोल और डीजल वाहनों से होने वाले प्रदूषण के मुद्दों के साथ-साथ उभरती हुई तकनीकी, औद्योगिक और बाजार विकास को ध्यान में रखते हुए मौजूदा इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति पर पुनर्विचार या संशोधन करने का है;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) वर्तमान ईवी नीति के उन प्रमुख मुद्दों या प्रावधानों का ब्यौरा क्या है जिनकी समीक्षा किए जाने की संभावना है;
(घ) उक्त नीति को कब तक अंतिम रूप दिए जाने और अधिसूचित किए जाने की संभावना है;
(ङ) प्रस्तावित परिवर्तनों से घरेलू निर्माताओं को किस प्रकार सहायता मिलने, ईवी अपनाने को बढ़ावा मिलने और उपभोक्ताओं के लिए सामर्थ्य सुनिश्चित होने की संभावना है; और
(च) सरकार द्वारा देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे अन्य उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग राज्य मंत्री
(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) से (ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(च) भारी उद्योग मंत्रालय देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नांकित स्कीमों को कार्यान्वित कर रहा है:-

i. **भारत में ऑटोमोबिल और ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) स्कीम (पीएलआई-ऑटो):** सरकार ने इस स्कीम को 23 सितंबर, 2021 को भारत में ऑटोमोबिल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए अधिसूचित किया। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों समेत एडवांस्ड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (एएटी) उत्पादों के लिए भारत की विनिर्माण क्षमता को बढ़ाना है, जिसका बजटीय परिव्यय 25,938 करोड़ रुपए है।

ii. **नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी स्टोरेज के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) स्कीम:** सरकार ने 9 जून, 2021 को देश में एसीसी के विनिर्माण के लिए 18,100 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ पीएलआई स्कीम को अधिसूचित किया। इस स्कीम का उद्देश्य 50 गीगावॉट घंटा एसीसी बैटरी के लिए एक प्रतिस्पर्धी घरेलू विनिर्माण इकोसिस्टम बनाना है।

iii. **पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) स्कीम:** 10,900 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली यह स्कीम 29 सितंबर, 2024 को अधिसूचित की गई है। इस स्कीम में ई-दुपहिया, ई-तिपहिया, ई-ट्रक, ई-बस और ई-एम्बुलेंस जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए समर्थन शामिल है। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक वाहन पब्लिक चार्जिंग स्टेशन और परीक्षण एजेंसियों का उन्नयन भी इस स्कीम में शामिल है।

iv. **पीएम ई-बस सेवा-पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म (पीएसएम) स्कीम:** 28.10.2024 को अधिसूचित की गई इस स्कीम का परिव्यय 3,435.33 करोड़ रुपए है और इसका उद्देश्य 38,000 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती में मदद करना है। इस स्कीम का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों (पीटीए) द्वारा भुगतान में चूक के मामले में ई-बस संचालकों को भुगतान सुरक्षा प्रदान करना है।

v. **भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए स्कीम(एसपीएमईपीसीआई)** 15 मार्च, 2024 को अधिसूचित किया गया था जिसका उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देना है। इसके लिए आवेदकों को न्यूनतम 4,150 करोड़ रुपए निवेश करने होंगे और तीसरे वर्ष के अंत में न्यूनतम 25% तथा पांचवें वर्ष के अंत में 50% घरेलू मूल्यवर्धन (डीवीए) हासिल करना होगा।

*****